

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी, एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0076 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/03/2025 22:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/03/2025 Date To (दिनांक तक): 24/03/2025
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 08:00 बजे Time To (समय तक): 17:35 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/03/2025 Time (समय): 19:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 27/03/2025 22:10:52 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 180 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): PARISAR KARYALYA UP VAN SANRKSHK, JILA CHITTORGARH

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NARESH NAGAR
(b) Father's Name (पिता का नाम): BHNWARLAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1987 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM CHLET, KHANPUR, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM CHLET, KHANPUR, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

[REDACTED]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA CHAUDHARY		पिता:RAMLAL	1. BIKHRANIYAKHURD,,POST BIKHRANIYKALAN,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
2	RAJENDRA KUMAR MEENA		पिता:SUWALAL	1. LALPUR POST HADIYA,DAUSA,RAJASTHAN,IN
3	PUSHPA RANAWAT		पत्नी:SHIV SINGH	1. GRAM RAGHUNATHPURA,POST DUGAR,CHITTORGARH,RAJAS

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	78000 रूपये नगद व एक सेल्फ चैक राशि 120000 रुपये	78,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 78,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2025 परिवारी श्री नरेश नागर पुत्र श्री भवंरलाल,जाति धाकड, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम चलेट तहसील खानपुर जिला झालावाड ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.यू. कोटा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " मेरे मित्र श्री गिर्राज जी धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू के नाम भूमि कन्ट्रक्शन के नाम से फर्म रजिस्टर्ड है। हम दोनो मिलकर वन विभाग बौराव रेन्ज बौराव जिला चित्तौडगढ की तीन साईडो पर ठेकेदारी का काम कर रहे है। दिसम्बर 2024 मे उक्त फर्म के नाम रेन्ज बौराव की तीन साईडों नाका बोरदा के अधीन उमरचा, नाका बौराव की साईड काना का खाल व नाका लोटयाना के अधीन उण्डाखाल पर ट्रेन्च व गड्डे खोदने का ऑन लाईन टेण्डर प्रक्रिया शुरू हुई थी। उक्त कार्य की लागत 30 लाख रूपये होना टेण्डर में होना अंकित था। हमारी फर्म ने 29.99 प्रतिशत बिलो रेट पर टेण्डर डाले तो उक्त कार्य करीब 21 लाख रूपये मे हमारी फर्म के नाम स्वीकृत होकर कार्यादेश हमारी फर्म के नाम वन विभाग चित्तौडगढ से जारी हो गये थे। कार्यादेश जारी होने के बाद वन विभाग के रेन्जर व नाका प्रभारियों को उक्त कार्य अपने स्तर पर करवाने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त साईडो पर हमारे नाम जारी हुये उक्त कार्य को मैं ही सम्भाल रहा था। मैंने सम्पूर्ण कार्य 2-3 दिन पूर्व पूरा कर दिया है। लेकिन कल दिनांक 19.03.2025 को रेन्जर राजेन्द्र चौधरी रेन्ज बौराव ने उसके वॉटसएप नम्बर [REDACTED] से मेरे द्वारा किये गये कार्य का नाप भेजा है जिसमे उसके द्वारा मेरे द्वारा करवाये गये पूरे कार्य का नाप नहीं डाला। श्री राजेन्द्र चौधरी रेन्जर और नाका बौराव प्रभारी, श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल, नाका लोटयाना प्रभारी श्री राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल से मिलीभगत कर मेरे द्वारा करवाये गये कार्य को अपूर्ण बताकर पूरे बिल बनाने की एवज मे टेण्डर राशि 21 लाख रूपये का 20 प्रतिशत हिस्सा बतौर रिश्चत मांग रहे है। मैंने पहले ही साईड इन्चार्ज पुष्पा राणावत, राजेन्द्र कुमार मीणा के दबाव मे टेण्डर से ज्यादा काम करवा दिया है फिर भी उक्त लोग मेरे द्वारा करवाये गये कार्य का पूरा बिल बनाने की एवज मे आपसी मिलीभगत कर 20 प्रतिशत रिश्चत मांग रहे है। मैं उक्त लोगों को रिश्चत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्चत लेते हुये को रगें हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरा उक्त लोगो से कोई पुराना लेन देन बकाया नहीं है ना ही कोई रजिंश है, कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व बताया कि रिश्चती राशि की बातचीत मुझसे श्री राजेन्द्र जाट रेन्जर रेन्ज बौराव, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल व श्रीमती पुष्पा राणावत करेगे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्चत मांग का पाया जाने से प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक के जिम्मे करते हुए परिवारी श्री नरेश नागर से मन पुलिस निरीक्षक का परिचय करवाकर परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपर्द किया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मय परिवारी के स्वयं के चेम्बर मे आया व परिवारी से नाम पता व प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध मे दरयाफ्त किया तो परिवारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये। प्रार्थना पत्र से मामला रिश्चत मांग का पाया जाने पर रिश्चत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना है। परिवारी ने बताया कि श्री राजेन्द्र चौधरी रेन्जर रेन्ज बौराव जिला चित्तौडगढ द्वारा मुझे आज ही रिश्चत के सम्बन्ध मे 10.30 एएम तक रेन्ज बौराव पर बुलाया है। इस पर कार्यालय मे उपस्थित श्री लालचन्द कानि. से परिवारी श्री नरेश नागर का परिचय करवाया जाकर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवारी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द

करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 एवं श्रीमती सरोज महिला हैड कानि. 81 के समक्ष परिवादी श्री नरेश नागर को सुपुर्द किया गया। समय 9.00 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेश नागर को सत्यापन हेतु वन विभाग की बौराव रेन्ज जिला चित्तौड़गढ़ मय श्री लालचन्द कानि.30 के रवाना किया गया व दोनों को आवश्यक समझाईश की गई। समय:- 2.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश नागर मय कानि.30 श्री लालचन्द के उपस्थित कार्यालय आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि-"मैं लालचन्द जी को साथ लेकर मेरे निजी वाहन से बौराव रेन्ज से पहले पहुंचकर लालचन्द जी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर रेन्ज नाका बौराव पर पहुंचा जहां पर श्री राजेन्द्र जी रेन्जर साहब मिले जिनसे मेरे पेण्डिंग बिलों व कार्य के सम्बन्ध में वार्ता हुई व बिलों को पास करने के सम्बन्ध में वार्ता हुई। बिलों को पास करने की एवज में 20 प्रतिशत रिश्वत राशि के सम्बन्ध में उनके द्वारा ज्यादा कुछ नहीं कहा व राजेन्द्र जी मीणा सहायक वनपाल से मिलने के लिए कहा। इस पर मैं राजेन्द्र जी मीणा से मिला तो उन्होंने मुझसे मेरे टेण्डर कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करते हुये कहा कि तुम्हारा पहले भी बहुत खर्चा हो चुका है। रेन्जर साहब को जो पैसे दोगे उन्हीं में से मैं मेरा हिस्सा ले लूंगा। मेरे राजेन्द्र जाट रेन्जर एवं राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल के मध्य हुई वार्ता को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर बौराव नाका से रवाना होकर वापस लालचन्द जी के पास आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द करवाया था एवं रवाना होकर कार्यालय आये है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सूना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि हुई। श्री लालचन्द कानि. द्वारा भी परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन वार्ता व परिवादी द्वारा बताये तथ्यों से रिश्वत मांग स्पष्ट नहीं होने से परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि रेन्जर राजेन्द्र जाट मुझे कभी भी फोन करके वापस बुलायेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने हेतु समझाईश कर अवगत कराया कि जब भी राजेन्द्र जाट का मोबाइल फोन आपके पास आये व वह रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करने या रिश्वत लेने के सम्बन्ध में वार्ता हेतु आपको बुलाये तो आप मन पुलिस निरीक्षक से ही सम्पर्क करें। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने हेतु पुनः समझाईश कर रूखसत किया गया। दिनांक 23.03.2025 समय 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री नरेश नागर उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास कल दिनांक 22.03.2025 को रेन्जर श्री राजेन्द्र चौधरी का फोन आया था उसने फोन पर मेरे से कहा था कि तेरे बिल बनवा रहा हूँ तू रेन्ज बौराव पर आकर बात करले तथा कल ही 50 हजार रुपये भी साथ लेकर आना। बाकी सारी बातें तेरे रेन्ज बौराव पर आने पर कर लेंगे। इस पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई जाकर गवाहान श्री सरोज महिला हैड कानि. 81 एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर श्री लालचन्द कानि. को पुनः सत्यापन करवाने हेतु परिवादी के हमराह वन रेन्ज बौराव जिला चित्तौड़गढ़ रवाना किया गया। समय:- 4.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश नागर मय कानि. लालचन्द 30 के वापस कार्यालय आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं लालचन्द जी कानि. को साथ लेकर मेरे निजी वाहन से रवाना होकर रेन्ज बौराव से थोड़े पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलवाकर बौराव पहुंचा जहां पर मुझे राजेन्द्र जी मीणा सहायक वनपाल व श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल मौजूद मिले जिनसे मेरे कार्य एवं बिलों के सम्बन्ध में बात की उसके बाद मैं श्री राजेन्द्र चौधरी रेन्जर से मिला जिनसे मेरे पेण्डिंग बिल बनाने व रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बात हुई थी। मैंने रेन्जर साहब से कहा कि सर एक रिकवेस्ट थी मेरी व 2-2 प्रसेन्ट के हिसाब से जोडा है उसे थोड़ा कम करवादो या आप वाले हिस्से 20 प्रतिशत में से उनका 2-2 प्रतिशत हो जायेगा। मेरे भी लोड कम पड जायेगा। इस पर रेन्जर साहब ने कहा कि तेरी जो भी इच्छा हो वह कर देना। मैंने रेन्जर साहब को ईशारे में उनके द्वारा मंगवाई गई राशि 50,000 /- रुपये के सम्बन्ध में कहा तो उन्होंने मेरे सामने श्रीमती पुष्पा जी को फोन कर कहा कि पुष्पा जी यह आ रहे है, यह कुछ तो केस देंगे व कुछ चेक दे देंगे आप राजेन्द्र जी को बता देना। इस पर मैं वापस पुष्पा जी व राजेन्द्र जी के पास गया तो पुष्पा जी की उपस्थिति में रेन्जर साहब द्वारा बताये अनुसार राजेन्द्र जी मीणा ने मेरे से 50,000 रुपये नगद ले लिये तथा कहा कि 50,000 रुपये नगद व 1,20,000 रुपये का चेक सोमवार को दे जाना। उक्त सभी वार्ताएं मेरे द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। फिर मैं वापस लालचन्द जी के पास आया एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द करवाकर रवाना हो वापस आया हूँ। श्री लालचन्द कानि. द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर उसमें रिकॉर्ड वार्ता सुनी गई तो परिवादी व लालचन्द कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। सत्यापन वार्ता व परिवादी द्वारा बताये अनुसार आरोपीगण द्वारा परिवादी से 50,000 रुपये नगद एवं 1,20,000 रुपये का चेक लेकर सोमवार को बुलाने के तथ्य स्पष्ट होने से परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 24.03.2025 को समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय में होने हेतु समझाईश कर रूखसत किया गया एवं पूर्व में दीगर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह कार्यालय अधीक्षक महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा से पाबन्द शुदा गवाह श्री सचिन मेहता नर्सिंग अधिकारी एवं श्री अशोक नागर लेब टेक्नीशियन को समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। दिनांक 24.03.2025 समय 8.30 ए.एम. पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह 1.श्री अशोक कुमार नागर पुत्र श्री जगन्नाथ नागर जाति धाकड उम्र 41 साल निवासी 175 महाराणा प्रताप रेजीडेन्सी कनोल नोड, मानपुरा कोटा हाल लेब टेक्नीशियन एम.

बी.एस. हॉस्पिटल कोटा 2. श्री मुकुट बिहारी पुत्र श्री बद्रीलाल जाति नागर उम्र 41 साल निवासी विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी रंगबाडी कोटा हाल नर्सिंग अधिकारी एम.बी.एस. हास्पिटल कोटा अधीक्षक महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा के सशोधित आदेश क्रमांक 269 दिनांक 24.03.2025 को लेकर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री नरेश कुमार नागर पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मेरे कल दिनांक 23/03/25 को आपके कार्यालय से घर जाने के बाद राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल का मेरे मोबाईल पर फोन आया जिसने मोबाईल पर मेरे को बताया कि मेरे नाका के अधीन करवाये गये करीब 7 लाख रुपये के कार्यों के 2 प्रतिशत के हिसाब से 14 हजार रुपये मेरे लिये तथा नाका बोराव के अधीन करवाये गये करीब 7 लाख रुपये के कार्यों के भी 2 प्रतिशत के हिसाब से 14 हजार रुपये श्रीमती पुष्पा राणावत के लिये कुल 28 हजार रुपये तथा आपसे हुयी वार्ता अनुसार 50,000/-रुपये नगद व 1,20,000/-रुपये का सैल्फ चैक लेकर कल नाका बोराव पर 11-12 बजे तक आ जाना मै, रेंजर साहब, व पुष्पा जी राणावत वही पर मिलेगे मै राजेन्द्र जी मीणा व पुष्पा जी के लिये 14-14 हजार रुपये व सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के अनुसार 50,000/- रुपये कुल 78,000/-रुपये नगद व 1,20,000/-रुपये का सैल्फ चैक उन लोगो को देने के लिये लेकर आया हु। स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार नागर पुत्र श्री जगन्नाथ नागर जाति धाकड उम्र 41 साल निवासी 175 महाराणा प्रताप रेजीडेन्सी कनोल नोड, मानपुरा कोटा हाल लेब टेक्नीशियन एम.बी.एस. हॉस्पिटल कोटा एवं श्री मुकुट बिहारी पुत्र श्री बद्रीलाल जाति नागर उम्र 41 साल निवासी विनोबा भावे नगर खडे गणेश जी रंगबाडी कोटा हाल नर्सिंग अधिकारी एम.बी.एस. हास्पिटल कोटा का परिवादी श्री नरेश नागर से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकॉर्ड है के मुख्य अंश गवाहान को सुनाकर दोनों गवाहान को ट्रेप कार्यावाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही गई जिस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समझकर कार्यावाही हाजा में स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय:-1000 ए.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली नगद राशि एवं सैल्फ चैक पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री नरेश कुमार नागर ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 156 नोट कुल 78,000/-रुपये नगद एवं 1,20,000/-रुपये का सैल्फ चैक निकाल कर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, नोटो एवं चैक का विवरण निम्न प्रकार है- SN.NO नोट का प्रकार नोट का क्रमांक 1 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8UE863007 2 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0SE233444 3 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PT834344 4 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5KP224995 5 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0AS683749 6 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QT152123 7 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3RU699182 8 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1GM142615 9 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PD445859 10 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6GP476523 11 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4BS899594 12 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9HM014835 13 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3TG113079 14 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8BP487596 15 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0EN618451 16 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6DN071509 17 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0KF468307 18 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8QQ671224 19 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6TF316294 20 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0HN601215 21 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0HG891286 22 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0VT925545 23 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8UD277346 24 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4QN790289 25 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2AD459080 26 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8AE662481 27 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3RS058947 28 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9FK905053 29 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3PL659170 30 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5AN412739 31 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4BU176745 32 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1FU200369 33 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5LR494178 34 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3MP553838 35 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7CW037777 36 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5VP032045 37 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1MS726172 38 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7NN877230 39 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0CA152594 40 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8EN553237 41 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6LQ996329 42 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1NQ280082 43 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1BU526718 44 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4NM073328 45 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7UQ988082 46 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9HR183475 47 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QK590699 48 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0FP840599 49 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8DN674734 50 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DG419497 51 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3KR040369 52 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1VM234279 53 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1EN554071 54 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7KQ601465 55 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6NK708344 56 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7ML313151 57 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0CH080415 58 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4RD806678 59 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर

3VE069688 60 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3MK445679 61 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9GR518995
62 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0QK061438 63 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1CQ133427 64 एक नोट
पांच सौ रुपये का नम्बर 0RG746341 65 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7NE023686 66 एक नोट पांच सौ रुपये
का नम्बर 7QP520170 67 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1HV531112 68 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2NF971466 69 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7KC444884 70 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0GF458337
71 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3BD254569 72 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0GU911579 73 एक नोट
पांच सौ रुपये का नम्बर 1VM016445 74 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1NM781233 75 एक नोट पांच सौ रुपये
का नम्बर 3VT800872 76 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HN364809 77 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2DP416876 78 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0BR639288 79 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2DM737303
80 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2GG445315 81 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3TU815733 82 एक नोट
पांच सौ रुपये का नम्बर 8AH688950 83 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9CG972740 84 एक नोट पांच सौ रुपये
का नम्बर 7CR201353 85 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2GA447265 86 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
9TG640530 87 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6VW016349 88 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3PV496157
89 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9PF308339 90 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0SN515872 91 एक नोट
पांच सौ रुपये का नम्बर 9GH373912 92 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9RG302143 93 एक नोट पांच सौ रुपये
का नम्बर 4RR003248 94 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7FQ330986 95 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2BB109842 96 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6TP316273 97 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4BW483490
98 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0BN749509 99 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6DV171371 100 एक नोट
पांच सौ रुपये का नम्बर 3BE997238 101 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6KK142161 102 एक नोट पांच सौ रुपये
का नम्बर 6SE090816 103 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5PD926436 104 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
4PB123219 105 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8WF827230 106 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
8TP879901 107 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3VC539845 108 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2AA347437 109 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2PH350088 110 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
3GQ526763 111 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6KK270768 112 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
8CV747282 113 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5VS706337 114 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
5ED835634 115 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8KQ558159 116 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
3NS752435 117 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6DW041918 118 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6RQ428536 119 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2HF639648 120 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
7NR883316 121 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6FN293359 122 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2QN556102 123 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8LH411549 124 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
9SQ623847 125 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1BB831399 126 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
0VK923613 127 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4MQ836586 128 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6NB414479 129 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7LB273001 130 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2KF279480 131 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PE471103 132 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
4CU286068 133 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3ND991845 134 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
3PN328201 135 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0PD543595 136 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6HE826376 137 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3CE255245 138 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2MD107352 139 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6WG931716 140 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
3CU867044 141 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9FB825796 142 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6DW601866 143 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6HT231149 144 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6SU742387 145 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9WC043762 146 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
4AD644946 147 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9LE170489 148 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
1PF468116 149 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7AQ405744 150 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
6QD451860 151 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6UR631805 152 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2CU010680 153 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8BA180526 154 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
2ME793432 155 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2FT725491 156 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर
7NH570112 157 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दादाबाडी कोटा का एक सेल्प चैक नम्बर 093722 जिस पर आगे
परिवादी श्री नरेश के हस्ताक्षर हैं पीछे कोई हस्ताक्षर नहीं है 1,20,000/- श्री अभिषेक कानि0 197 से फिनोफथलीन

पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर गवाहान के समक्ष एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों एवं सैल्फ चैक पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भाँति लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। गवाह श्री मुकुट बिहारी नागर से परिवादी श्री नरेश नागर की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों में से 50,000/- रुपये को श्री अभिषेक कानि से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब एवं 28000 हजार रुपये एवं सैल्फ चैक को परिवादी की पहनी पेन्ट की बायीं जेब में रखवाये गये। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री अभिषेक कानि. के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर [REDACTED] पर कॉल कर देवें। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फेंकवाया गया। नोटों पर पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री अभिषेक कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। कार्यवाही में काम में आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, के पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। प्रक्रिया में प्रयुक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री अभिषेक कानि. से पुनः मालखाना में रखवाई गई। समय:- 11.04 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेश कुमार नागर से आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी रेंजर का लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाइल से आरोपी राजेन्द्र चौधरी के मोबाइल पर स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा कहा गया कि-मैं तो एसीएफ साहब को लेकर चित्तौडगढ रवाना हो रहा हूँ तो तुम दोनों साइड इंचार्ज को साथ लेकर चित्तौडगढ आ जाना व अधिकारी को विश्वास दिला देना। परिवादी ने कहा कि-राजेन्द्र मीणाजी का कल रात को मोबाइल पर कॉल आया था उन्होंने कहा था कि नगद रूपये व चैक लेकर आ जाना। इसलिए मैं तो बैंक में हूँ तो राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि-ठीक है तू लेकर आ जाना व दोनों साइड इंचार्जों से बात कर दोनों को साथ लेकर चित्तौडगढ आ जाना। मोबाइल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय:-11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेश कुमार नागर तथा श्री लालचन्द कानि. 30, श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 को मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी की कार से चित्तौडगढ के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक व एसीबी जाब्ता, श्री किशनलाल उनि., श्रीमती सरोज गौड़ हैडकानि. 81, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री राजेन्द्र कानि. 279 अन्य प्राईवेट वाहन मय चालक मय लेपटोप प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के कार्यवाही हेतु परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री नरेश कुमार नागर के वाहन के पीछे पीछे मय जाता के डाबी के पास पहुंचा तो परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक के वाहन को रूकवाकर बताया कि अभी-अभी राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक वनपाल का मेरे मोबाइल पर फोन आया है जिसने अवगत कराया है कि मैं राजेन्द्र चौधरी रेंजर साहब के साथ चित्तौडगढ के लिए रवाना हो गया हूँ तुम सीधे ही चित्तौडगढ उप वन संरक्षक कार्यालय में आकर मिल लेना। परिवादी को चित्तौडगढ हेतु रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक भी परिवादी के वाहन के पीछे पीछे चित्तौडगढ के लिए रवाना हुआ। समय 02.48 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश कुमार मय जाब्ता व गवाहान के पुलिस थाना सदर जिला चित्तौडगढ के सामने आम रोड पर पहुंच कर अपने वाहन को खडा किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक भी परिवादी के वाहन के पास पुलिस थाना सदर के सामने आम रोड पर पहुंचा तथा परिवादी से आरोपीगण का लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाइल से आरोपी राजेन्द्र मीणा को मोबाइल पर कॉल करवाया तो राजेन्द्र मीणा द्वारा बताया कि हम डिवीजन ऑफिस में ही बैठे हैं आप यहीं आ जाओ। उक्त वार्ता को मोबाइल का स्पीकर ऑन कर डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व परिवादी के अपने अपने वाहन से रवाना होकर प्रताप सर्किल के पास नेहरू उद्यान पहुंचकर मुकीम हुआ। समय 04.24 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश नागर को रिश्वती राशि एवं रिश्वती चैक आरोपीगण को देने हेतु अपने वाहन से डिवीजन ऑफिस (उप वन संरक्षक कार्यालय चित्तौडगढ) हेतु डिजिटल वाइस रिकॉर्डर चालू करवाकर रवाना किया तथा श्री लालचन्द कानि. 30, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 व श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु उक्त कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहने बाबत आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं मन पुलिस निरीक्षक भी मय शेष जाब्ता व

गवाहान के परिवादी के पीछे पीछे उक्त कार्यालय हेतु रवाना हुआ। परिवादी के साथ भिजवाया जाता उपवन संरक्षक कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए तथा मन पुलिस निरीक्षक व शेष जाता भी कार्यालय उप वन संरक्षक मुख्य गेट के सामने शहीद स्मारक पार्क में ट्रेप जाल बिछाकर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पूर्व से निर्धारित मोबाइल कॉल के इंतजार में मुकीम हुआ। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, एस.यू. कोटा सुपरविजन हेतु उपस्थित हुए जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। समय 0535 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश नागर ने कार्यालय उपवन संरक्षक के मुख्य गेट से बाहर आम रोड पर आकर पूर्व निर्धारित इशारा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल किया। मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम के परिवादी के पास पहुंचा व डिजिटल वाइस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल नाका लोटियानी द्वारा श्री राजेन्द्र चौधरी रेंजर के कहे अनुसार मेरे से 78,000/-रूपये नगद व राशि 1,20,000/-रूपये का चैक मेरे वाहन में बैठकर स्वयं के लिए 14,000 /-रूपये, श्रीमती पुष्पा राणावत के लिए 14,000/-रूपये व शेष 50,000/-रूपये व राशि 1,20,000/-रूपये का चैक राजेन्द्र कुमार मीणा ने तीनों के लिए प्राप्त कर लिए हैं। उस समय राजेन्द्र चौधरी रेंजर भी मेरे वाहन के पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ा था जो राजेन्द्र मीणा के मेरी गाडी से उतरकर उनके पास जाते ही दोनों जो खाकी रंग की वर्दी पहने हुए हैं, आपस में बातें करते हुए सहायक उपवन संरक्षक चित्तौडगढ कार्यालय की ओर जा रहे हैं। मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम के सामने जा रहे दो वर्दीधारी व्यक्तियों के पीछे पीछे तेज कदमों से चलता हुआ सहा. उप वन संरक्षक कार्यालय पहुंचा। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक व टीम के आगे-आगे चलते हुये सहायक उप वन संरक्षक के कार्यालय की तरफ जाते हुये दो वर्दीधारी व्यक्तियों की तरफ इशारा कर बताया कि जिस व्यक्ति की वर्दी पर दो स्टार लगे हुये हैं वह राजेन्द्र चौधरी हैं तथा दूसरा व्यक्ति जिसकी वर्दी पर स्टार नहीं है वह राजेन्द्र कुमार मीणा है। मेरे से राजेन्द्र कुमार मीणा ने मेरी स्वयं की गाडी मे आकर राजेन्द्र चौधरी रेन्जर के कहेनुसार रिश्वत राशि 78,000/- रूपये नगद एवं एक सेल्फ चेक 1,20,000/- का प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बायीं जेब में रखे है। इस पर उक्त दोनों व्यक्तियों को जाता एवं गवाहान की मदद से रोककर मन पुलिस निरीक्षक ने मय स्वतंत्र गवाहान के उक्त दोनो व्यक्तियों को अपना परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तो उक्त दोनो व्यक्ति एकदम घबराकर पसीना पसीना हो गये, जिनको तसल्ली देकर उनसे उसका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम 1.श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी बिखरनियां खुर्द पोस्ट बिखरनियां कला थाना पादुकला जिला नागौर हाल रेंजर रेन्ज बौरान उप वन संरक्षक जिला चित्तौडगढ तथा दूसरे ने अपना नाम 2. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी लालपुर पोस्ट हडिया थाना महवा जिला दौसा हाल सहायक वनपाल रेन्ज बौराव उप वन संरक्षक जिला चित्तौडगढ हाल निवास पी.एच. 27 आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से परिवादी श्री नरेश नागर की तरफ इशारा करते हुये राजेन्द्र मीणा सहायक वन पाल से पूछा कि अभी-अभी आपने नरेश नागर से राजेन्द्र चौधरी रेन्जर के कहेनुसार 78,000/- रूपये एवं 1,20,000/- रूपये का चेक कुल 1,98,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि मैंने नरेश कुमार से कोई रिश्वत नहीं मांगी इन्होंने जबरदस्ती ही मुझे 78,000/- रूपये नगद व 1,20,000/- रूपये का चेक जे0सी0बी0 वाले एवं लेबर का भुगतान हेतु दिया है, जो मैंने प्राप्त कर अपनी वर्दी की पेन्ट की बायीं जेब मे रखे है तथा राजेन्द्र कुमार चौधरी से पूछने पर उसने बताया कि मैंने नरेश कुमार से कोई रिश्वत मांग नहीं की है ना ही मुझे रिश्वत लेन देन की कोई जानकारी है। पास ही खडे परिवादी नरेश नागर ने आरोपी राजेन्द्र चौधरी रेन्जर व राजेन्द्र मीणा सहायक वनवाल की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि-"मैंने बौराव रेन्ज के अधीन तीन साईडो (नाकों) मे ट्रेन्च व गड्डे खुदवाने का ठेका प्रत्येक नाका के अधीन करीब 7-7 लाख कुल 21 लाख रूपये मे लिया था। मैंने काम पूरा कर दिया लेकिन रेन्जर राजेन्द्र चौधरी व राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल एवं श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल तीनों मिलकर मेरे से ठेके की राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा बतौर रिश्वत मांग कर रहे थे जिसकी शिकायत मैंने आपके कार्यालय मे की थी। इस पर आपने रिश्वत की मांग का दिनांक 20.03.2025 को सत्यापन करवाया तो श्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा मेरे 21 लाख रूपये के बिल पास करवाने का आश्वासन दिया था। उसी दिन मैं राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल से मिला तो इन्होंने मेरे से कहा कि रेन्जर साहब के 20 प्रतिशत मे से ही हम लोग ले लेंगे। आपका पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। उसके बाद मैं कल दिनांक 23.03.2025 को वापस रेन्जर व सहायक वनपाल श्री राजेन्द्र मीणा व श्रीमती पुष्पा राणावत से पुनः रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने गया तो राजेन्द्र चौधरी रेन्जर से मिला एवं मेरे बिलों के सम्बन्ध मे वार्ता करने के बाद मैंने कहा कि सर मेरी एक रिकवेस्ट है कि आपके 20 प्रतिशत मे से ही 2-2 प्रसेन्ट उन लोगों को करवा देना मेरे बहुत लोड पड गया है तो रेन्जर साहब ने सहमति दी थी व पुष्पा राणावत को अपने मोबाईल से फोन कर कहा भी था कि नरेश जी आपके पास आ रहे है। मैंने 50 हजार रूपये साथ लेकर आने का इशारा किया तो रेन्जर साहब ने राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल को देने हेतु कहा। उसके बाद मेरे द्वारा राजेन्द्र चौधरी रेन्जर साहब से उनके हिस्से की रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध पूछा तो इन्होंने कहा था कि काम होने के बाद मे 2 तारीख या 5 तारीख को आ जाने हेतु कहते हुये रिश्वत राशि लेने की सहमति दी थी। उसके बाद मैं राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल से मिला तो इनके द्वारा मेरे से 50,000/- रूपये प्राप्त कर कहा था कि 1,78,000/- रूपये कल ले आना तो मैंने 50,000/- रूपये नगद एवं 1,20,000/- का चेक लाने हेतु कहा था तथा राजेन्द्र मीणा से उनके

नाका के अधीन करवाये गये काम की 2 प्रतिशत राशि के सम्बन्ध में बात करी तो इन्होंने सहमति दी थी तथा पुष्पा राणावत से मिला तो उसके द्वारा भी 2 प्रतिशत राशि के सम्बन्ध में बात की थी व उसके द्वारा भी सहमति दी गई थी। आज मैंने एसीबी एस.यू. कोटा कार्यालय से राजेन्द्र चौधरी जी को फोन किया तो उनके द्वारा मुझे बौराव रेन्जर पर आने हेतु कहा था। फिर मैं कोटा से आप लोगो के साथ मेरे निजी वाहन से रवाना हुआ तो रास्ते में राजेन्द्र जी मीणा का फोन आया कि आप सीधे चित्तौड़गढ़ उप वन संरक्षक कार्यालय आ जाओ। यह बात आपको बताकर मैं आपके साथ अपने निजी वाहन से उप वन संरक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ़ आया व राजेन्द्र जी रेन्जर साहब से मिला तो इन्होंने कहा था कि अभी टाईम लगेगा तू राजेन्द्र मीणा से मिल लेना फिर मैं राजेन्द्र मीणा से मिला तो इन्होंने भी कहा कि अभी मैं बिल तैयार करवा रहा हूँ बाद में आ जाना। उसके बाद मैं इन्तजार करके उप वन संरक्षक कार्यालय में आया जहाँ पर मुझे राजेन्द्र मीणा मिले जिनसे मेरी रिश्तत राशि के सम्बन्ध में बात हुई। फिर राजेन्द्र जी मीणा मेरे साथ चलकर मेरे निजी वाहन में बैठ गये। जहाँ पर राजेन्द्र जी मीणा ने उनके नाका के अधीन करवाये गये करीब 7 लाख रुपये के कार्य के 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रुपये बतौर रिश्तत स्वयं के लिए तथा पुष्पा राणावत सहायक वनपाल के नाका के अधीन करवाये गये करीब 7 लाख रुपये के कार्य के 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रुपये पुष्पा राणावत को देने के लिए तथा 50,000/- नगद एवं 1,20,000/- रुपये का सेल्फ चेक कार्य करवाने का बहाना कर बतौर रिश्तत राशि राजेन्द्र जी रेन्जर की मिली भगत से बतौर रिश्तत प्राप्त किये थे। जबकि मेरे द्वारा ठेके का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। इस प्रकार राजेन्द्र मीणा द्वारा राजेन्द्र जाट रेन्जर व पुष्पा राणावत सहायक वनपाल से मिली भगत कर मेरे से 78,000/- रुपये नगद एवं 1,20,000/- रुपये का सेल्फ चेक कुल 1,98,000/- बतौर रिश्तत मेरे निजी वाहन में बैठे-बैठे प्राप्त कर रिश्तत राशि व चेक को अपनी वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रख लिये थे। श्री राजेन्द्र जी जाट भी राजेन्द्र मीणा द्वारा मेरी गाडी में बैठकर रिश्तत राशि प्राप्त करते समय मेरी गाडी के पीछे ही थोड़ी दूरी पर खड़े थे। राजेन्द्र जी मीणा रिश्तत राशि लेकर मेरी गाडी में से उतरकर राजेन्द्र जी जाट रेन्जर साहब के पास आये। उसी दौरान मेरे द्वारा आपको कॉल करने पर आप लोगो ने इन दोनों को पकड़ लिया था।" समय 5.45 पी.एम. पर राजेन्द्र मीणा के मोबाईल से पुष्पा राणावत के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर फोन करवाया तो उसके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया। समय 5.46 पी.एम. पर राजेन्द्र मीणा के मोबाईल से पुष्पा राणावत के उक्त मोबाईल नम्बर पर वॉट्सएप कॉल करवाया जो उसके द्वारा रिसिव करने पर राजेन्द्र मीणा ने कहा कि आपकी नरेश ठेकेदार के कार्य से सम्बन्धी 2 प्रतिशत राशि 14,000/- रुपये मेरे पास आ गये हैं व चेक दे दिया है, मैं आपको आकर दे दूंगा। इस पर श्रीमती पुष्पा राणावत ने सहमति जाहिर करते हुये कहा कि ठीक है। श्रीमती पुष्पा राणावत द्वारा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज व बिलों को खूद बुर्द करने की सम्भावना के मध्य नजर एवं ट्रेप कार्यवाही में बांछित होने से श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक व कीर्ति महिला कानि. भ्रनिब्यूरो कोटा को निगरानी हेतु बौराव नाका पहुंचने हेतु जरीये दूरभाष सुचित किया गया। चूंकि परिवादी श्री नरेश कुमार के कहे अनुसार आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल द्वारा परिवादी से 78,000/- रु नगद व 1,20,000/- रुपये का चेक रिश्तत की मांग कर प्राप्त करने का उचित संदेह होने से हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्र मीणा का दाहिना हाथ श्री लालचन्द कानि. 30 व बायां हाथ श्री राजेन्द्र कानि.279 से कलाई के ऊपर से पकड़वाया गया तथा राजेन्द्र जाट रेन्जर को हमराह लेकर राजेन्द्र मीणा को दोनों हाथ पकड़े हुये स्थिति में साथ लेकर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान, परिवादी व जासा के सहायक उप वन संरक्षक कार्यालय के सामने पहुंचा जहाँ पर उप वन संरक्षक एवं सहायक उप वन संरक्षक खड़े मिले जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व टीम का परिचय देकर उप वन संरक्षक को कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु तहरीर दी गई जिस पर उप वन संरक्षक द्वारा लिखित में ए.सी.एफ. का चैम्बर उपलब्ध करवाया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी व गवाहान मय जासा तथा डिटेनशुदा राजेन्द्र जाट रेन्जर व राजेन्द्र मीणा को साथ लेकर सहायक उप वन संरक्षक के कक्ष में पहुंचा व हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सहायक उप वन संरक्षक कक्ष के सामने रखे पानी के केम्पर से एक लोटे में साफ पानी मंगवाया गया। लोटे से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। आरोपी राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क आर एच-1, आर एच-2 अंकित किया गया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क एल एच-1, एल एच-2 से अंकित किया। इसके बाद गवाह श्री मुकुट बिहारी नागर से श्री राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायीं जेब से पांच-पांच सौ रुपये के नोट एवं एक चेक मिला जिसको गवाह से गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रुपये के कुल 156 नोट एवं एक सेल्फ चेक 1,20,000/- रुपये भरा हुआ होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को उक्त नोटों एवं चेक का मिलान फर्द पेशकशी नोट व चेक से करने को कहा गया तो दोनों गवाहान ने उक्त नोटों एवं चेक का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर कहा कि ये हुबहु वही नोट व चेक हैं जिन पर आपके कार्यालय में फिनोपिथलीन पाउडर लगाया था। बरामद नोटों के नम्बरो एवं चेक का विवरण फर्द बरामदगी व हाथ धुलाई में अंकित

किया गया। उक्त नोटों व चेक को कागज के पीले रंग लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। रिश्तत राशि आरोपी सहायक वनपाल श्री राजेन्द्र मीणा की पहनी हुई वर्दी की पेंट की साईड की बायीं जेब से बरामद हुई इसलिए श्री राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल को पहनने के लिए एक पजामा मंगवाकर दिया गया एवं पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर पेंट की बायीं जेब को उलटकर गिलास में बने घोल में धुलवाया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, धोवन को पृथक-पृथक दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया। पेंट को सुखाकर जेब को पैन से मार्क कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर शील्ड पैकेट को मार्क-पी दिया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी राजेन्द्र चौधरी की लोकेशन जानने हेतु कार्यालय से परिवारी के मोबाईल से करवाई गई मोबाईल वार्ता व दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल से आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत के मोबाईल पर रिश्तत राशि के सम्बन्ध मे करवायी गयी वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए आरोपी राजेन्द्र चौधरी रेंजर द्वारा उपयोग मे लिया गया मोबाईल वीवो वाई 21 जिसके आईएमईआई नंबर [REDACTED] तथा [REDACTED] है। मोबाइल नंबर सिंगल सिम [REDACTED] वोडाफोन कंपनी की है तथा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल द्वारा उपयोग में लिया गया मोबाइल टेक्रो स्पार्क कंपनी मोबाइल नंबर [REDACTED] सिम बीएसएनएल की है जिसे आरोपी ने जिओ कंपनी में पोर्ट आउट करवाना बताया है जिसके आईएमईआई नंबर [REDACTED] तथा [REDACTED] है, को अनसीलड रखा जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर चिट चस्पा की गई। परिवारी के पेण्डिंग वर्क से सम्बन्धित बिलों की प्रमाणित प्रतियां पृथक से प्राप्त पत्र जारी किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 के मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही से श्री राजेन्द्र चौधरी, रेन्जर रेन्ज बौराव, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल नाका लोठियाना व श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल नाका बौराव रेन्ज बौराव जिला चित्तौडगढ द्वारा आपसी मिलीभगत कर ठेकेदार से उसके द्वारा करवाये गये कार्य के 21 लाख रूपये के बिलों का 20 प्रतिशत बतौर रिश्तत मांग करना, सहायक वनपालों को 2 प्रतिशत अलग देने हेतु कहना, परिवारी के निवेदन करने पर 20 प्रतिशत मे से ही 2 प्रतिशत सहायक वनपालो को देने हेतु कहने पर रेन्जर व श्री राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल एवं पुष्पा राणावत का बिलों का 2 प्रतिशत कमीशन बतौर रिश्तत लेने हेतु सहमत होना, दौराने रिश्तत मांग सत्यापन 50,000/- रूपये राजेन्द्र चौधरी रेन्जर के कहने पर राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल द्वारा प्राप्त कर शेष राशि 1,78,000/- रूपये दिनांक 24.03.2025 को देने हेतु कहना, दौराने ट्रेप कार्यवाही रेन्जर राजेन्द्र जाट के कहने पर राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल द्वारा स्वयं के नाका क्षेत्र के कार्य करीब 7 लाख रूपये का 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रूपये स्वयं के लिए बौराव नाका क्षेत्र में करवाये गये करीब 7 लाख रूपये के कार्यों का 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रूपये नाका प्रभारी श्रीमती पुष्पा राणावत के लिए 14000/- रूपये एवं 50,000/- रूपये नगद व 1,20,000/- सेल्फ चेक तीनों के लिए प्राप्त करना, रिश्तत राशि 78,000/- रूपये नगद एवं 1,20,000/- रूपये सेल्फ चेक आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेंट की सामने की बायीं जेब से प्राप्त होना तथा आरोपी के दाहिने व बाये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा आरोपी की पेंट की जेब के धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से श्री राजेन्द्र जाट रेन्जर, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल, श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल के द्वारा जुर्म धारा 7, 7ए 12 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस. का अपराध कारित करना पाया गया। डिटेशनशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी व राजेन्द्र मीणा श्री किशनलाल उनि. व जाप्ते की निगरानी में छोड़ा जाकर मन पुलिस निरीक्षक समय 0945 पी.एम. पर श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल नाका बौराव द्वारा रिश्तत राशि की मांग कर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल के माध्यम से 14,000/-रूपये प्राप्त करने, श्रीमती पुष्पा राणावत द्वारा ट्रेप कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज व बिल इत्यादि को खुर्द बुर्द करने की संभावना को मध्येनजर रखते हुए श्रीमती पुष्पा राणावत को डिटैन कर गिरफ्तारी आवश्यक होने से धारा 43 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानानुसार महिला श्रीमती पुष्पा राणावत को रात्रि में महिला अधिकारी द्वारा ही डिटैन व गिरफ्तार करने की स्वीकृति चाहने हेतु श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जिला चित्तौडगढ के नाम पत्र तैयार कर मय श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 के न्यायाधीश महोदय के राजकीय आवास पर स्वीकृति हेतु रवाना हुआ। समय 11.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जिला चित्तौडगढ से आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत को महिला पुलिस अधिकारी श्री अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक से गिरफ्तार करवाने की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर वापस आया। गिरफ्तारी की स्वीकृति प्राप्त करते ही श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जिला चित्तौडगढ के आवास के बाहर आकर श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक जिनको पूर्व में ही आरोपिया की निगरानी हेतु पाबन्द कर रखा था, को माननीय न्यायालय से जारी आदेश से अवगत कराते हुए आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत को डिटैन कर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष केम्प कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक, जिला चित्तौडगढ पर पेश करने हेतु जरिए मोबाइल पर निर्देशित

किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी लालपुर पोस्ट हड़िया पुलिस थाना महवा जिला दौसा हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़ की परिवादी श्री नरेश नागर से दिनांक 20.03.2025, 23.03.2025 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, मोबाइल वार्ता दिनांक 24.03.2025 व रिश्त लेन देन वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपी की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपी की अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी द्वारा दस्ती नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि-"महोदय जी मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूं" नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी बिखरनियांखुर्द, पोस्ट बिखरनियांकलां पुलिस थाना पादुकला जिला नागौर हाल रेंजर, रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़ की परिवादी श्री नरेश नागर से दिनांक 20.03.2025, 23.03.2025 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 24.03.2025 को रिश्त लेन देन के संबंध में हुई मोबाइल वार्ता जो दिनांक सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपी की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपी की अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी द्वारा दस्ती नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि-"महोदय मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूं" नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए, 12 पी.सी. एक्ट यथा संशोधित 2018 व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का अपराध प्रमाणित होने से समय 11.45 पीएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी लालपुर पोस्ट हड़िया पुलिस थाना महवा जिला दौसा हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़ व समय 12.05 एएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी बिखरनियांखुर्द, पोस्ट बिखरनियांकलां पुलिस थाना पादुकला जिला नागौर हाल रेंजर, रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़ को मन् पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक ने अपने पूर्ण नाम एवं पद का परिचय दिया एवं आरोपीगण को उनके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपीगण को उसकी गिरफ्तार के आधारों एवं कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर चैक लिस्ट पृथक-पृथक तैयार की जाकर चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से आरोपीगण को ट्रेप कार्यवाही में हस्ब कायदा पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपीगण की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मुकुट बिहारी नागर से लिवाई गई तो आरोपीगण के पास पहने हुए कपडो के अलावा कुछ नहीं मिला। गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगण के कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री जगजीवन पालीवाल को दी गई। समय 01.15 एएम श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक मय सुश्री कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 व डिटेशनशुदा आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत के सरकारी वाहन ट्वेरा मय वाहन चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित आई जिससे पूछताछ की गई। बाद पूछताछ समय 01.35 एएम पर आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत पत्नी श्री शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ की परिवादी श्री नरेश नागर से दिनांक 23.03.2025 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 24.03.2025 को रिश्त लेन देन के संबंध में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल से हुई मोबाइल वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपिया की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपिया को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपिया द्वारा दस्ती नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि-"महोदय जी मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहती हूं" अतः नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.45 एएम पर श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक द्वारा माननीय सीजेएम साहब चित्तौड़गढ़ से प्राप्त की गई रात्रि के समय गिरफ्तारी के संबंध में पारित आदेश की पालना में आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत पत्नी श्री शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ को श्रीमति अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने अपने पूर्ण नाम एवं पद का परिचय दिया एवं आरोपिया को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपिया को उसकी गिरफ्तार के आधारों एवं कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर चैक लिस्ट तैयार की जाकर चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से आरोपिया को ट्रेप कार्यवाही में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपिया की जामातलाशी श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 से लिवाई गई तो आरोपिया के पास पहने हुए कपडो के अलावा 01 ओपो कंपनी का मोबाइल मिला जिसे जब्ती हेतु श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को जब्ती हेतु सुपुर्द किया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपिया के कहे अनुसार उसके पति श्री शिव सिंह को दी जाकर फर्द गिरफ्तारी मय आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत के मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द की गई। फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई। रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार नागर व श्री मुकुट बिहारी नागर के समक्ष श्रीमती पुष्पा राणावत पत्नी श्री शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ का मोबाइल

दौराने गिरफ्तारी, जामा तलाशी मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया गया था जिसे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्क्रीन टच ओपो कंपनी मोबाइल जिसमें सिम नंबर [REDACTED] लगी हुई है जिसके आईएमईआई नंबर [REDACTED] तथा [REDACTED] हैं। उक्त मोबाइल पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक वनपाल द्वारा श्रीमती पुष्पा राणावत आरोपिया से रिश्त लेन देन के संबंध में वार्ता की गई थी उक्त मोबाइल बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर चिट चस्पा किया गया। फर्द जब्ती मोबाइल तैयार की जाकर संबंधितों को पढाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समय 02.15 एएम पर परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, श्री राजेन्द्र चौधरी व के मध्य हुई दिनांक 20.03.2025 को दौराने रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, जिसे दिनांक 23.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपीगण को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपीगण की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.30 एएम पर परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, श्री राजेन्द्र चौधरी व श्रीमती पुष्पा राणावत के मध्य दिनांक 23.03.2025 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता जिसे दिनांक 23.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व तीनों आरोपीगण को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपीगण की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 एएम पर परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के मध्य दिनांक 24.03.2025 को हुई रिश्त लेन देन वार्ता जिसे दिनांक 24.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी राजेन्द्र मीणा को सुनाया गया। परिवादी , गवाहान व आरोपी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.15 एएम इस समय परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी के मध्य दिनांक 24.03.2025 को लोकेशन जानने के संबंध में हुई मोबाइल वार्ता प्रथम जिसे दिनांक 24.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी राजेन्द्र चौधरी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान व आरोपी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.40 एएम पर परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के मध्य दिनांक 24.03.2025 को लोकेशन जानने के संबंध में हुई मोबाइल वार्ता द्वितीय जिसे दिनांक 24.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी राजेन्द्र चौधरी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान व आरोपी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.50 एएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल द्वारा रिश्त राशि प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 24.03.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्त राशि प्राप्त करने के संबंध में आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत के मोबाइल पर की गई मोबाइल वार्ता तृतीय जिसे दिनांक 24.03.2025 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपीगण राजेन्द्र कुमार मीणा, पुष्पा राणावत को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान व आरोपीगण की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.55 एएम पर दिनांक 20.03.2025 को परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक वनपाल, श्री राजेन्द्र चौधरी रेंजर के मध्य हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 23.03.2025 को परिवादी नरेश नागर व आरोपीगण श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, श्रीमती पुष्पा राणावत व श्री राजेन्द्र चौधरी के मध्य हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 24.03.2025 को परिवादी श्री नरेश नागर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के मध्य हुई रिश्त लेन देन वार्ता, दिनांक 24.03.2025 को ही परिवादी नरेश नागर व आरोपी राजेन्द्र चौधरी के मध्य लोकेशन जानने हेतु हुई मोबाइल वार्ता प्रथम, परिवादी नरेश नागर व आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा के मध्य लोकेशन जानने हेतु हुई मोबाइल वार्ता द्वितीय व दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा रिश्त प्राप्ति के संबंध में आरोपिया श्रीमती पुष्पा राणावत से हुई मोबाइल वार्ता तृतीय को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त डीवीआर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त वार्ताओं की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर 05 पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। उक्त पैन ड्राईव में से 03 पैन ड्राईव आरोपीगण के लिए एवं 01 पैन ड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपडे की थैली में रखे जाकर सील मोहर किए गए, एवं कपडे की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए एक कपडे की

थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड मुर्तिब की गई। समय 10.10 एएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 के मोबाइल में लगे नया मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड को अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त विडियो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध समस्त 06 क्लिपिंग की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की गई तथा 01 पैन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड रखा गया। समय 10.25 एएम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार नागर व श्री मुकुट बिहारी नागर के समक्ष बमौजूदगी परिवादी श्री नरेश नागर पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम चलेट पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड के कार्यवाही हाजा के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.15 एएम .पर फर्म भूमि कन्स्ट्रक्शन कंपनी हानीहेडा, अटरू जिला बारां के प्रोपराईटर श्री गिरिराज धाकड़ से संबंधित निविदा प्रक्रिया, कायदेशि, बिलों व अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु जिला वन अधिकारी, चित्तौडगढ को पत्र जारी किया गया। समय 12.20 पीएम .पर कार्यालय उप वन संरक्षक के पत्रांक 3373 दिनांक 25/3/25 के संलग्न भूमि कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, हानीहेडा, अटरू जिला बारा से सम्बन्धित दस्तावेजात टेन्डर डिटेल् निविदा संख्या 177/2024-25 क्रमांक 12178 दिनांक 21/11/24 ई निविदा की शर्तें, ई-निविदा प्रपत्र-1 का प्रोफार्मा, जी-शिडयुल पार्ट ए, तकनीकी निविदा का तुलनात्मक विवरण, मय पत्रादि, कायदेशि दिनांक 12/12/24 कायदेशि 31/1/25, भूमि कन्स्ट्रक्शन कंपनी के रनिंग बिल आदि की श्री राहुल झांझडिया, उप वन संरक्षक, जिला चित्तौडगढ द्वारा प्रमाणित फोटोप्रतियां कुल 100 वर्क पेश किए जिन्हें बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री राजेन्द्र चौधरी, रेन्जर रेन्ज बौराव, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल नाका लोठियाना व श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल नाका बौराव रेन्ज बौराव जिला चित्तौडगढ का 15 योम न्यायिक अभिरक्षा चाहने हेतु न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ में पेश कर प्राप्त कर न्यायालय आदेश की पालना में आरोपीगण को कारागृह चित्तौडगढ में दाखिल करवाया जाकर रसीद प्राप्त की गई। ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाता ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा आर्टिकल्स के रवाना हो भ्र.नि.ब्यूरो, एस.यू. कोटा कार्यालय पहुंच जब्तशुदा रिश्वत राशि 78,000/-रूपये व बैंक नंबर 093722 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दादाबाडी कोटा राशि 1,20,000/-रूपये का लिफाफा, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी-1, पी-2 व पैकेट मार्क "पी", तीनों आरोपीगण के जब्तशुदा 03 मोबाइल, सील्डशुदा पेनड्राईव व मैमोरी कार्ड के 02 पैकेट को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि फर्म भूमि कन्स्ट्रक्शन हानीहेडा अटरू जिला बारां को वन विभाग चित्तौडगढ की वर्ष 2024-25 की निविदा निविदा संख्या 177/2024-25 क्रमांक 12178 दिनांक 21/11/24 से टेन्डर प्रक्रिया अनुसार रेंज बौराव जिला चित्तौडगढ के अधीन विभन्न साईडो पर ट्रेन्च, गड्डे, बैंक डेम एवं ड्राईक्स खोदने का ठेका मिलने पर उक्त फर्म को माह दिसम्बर 2024 में कायदेशि कार्यालय उपवन संरक्षक, जिला चित्तौडगढ से प्राप्त हुआ था। इस पर परिवादी द्वारा कार्य पूर्ण कर बौराव रेंज प्रभारी श्री राजेन्द्र चौधरी व संबंधित नाका प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा नाका लोठियाना, श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल बौराव रेन्ज से बिल बनाने हेतु संपर्क किया तो आरोपीगण श्री राजेन्द्र चौधरी, रेन्जर रेन्ज बौराव, श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल नाका लोठियाना व श्रीमती पुष्पा राणावत सहायक वनपाल नाका बौराव रेन्ज बौराव जिला चित्तौडगढ द्वारा आपसी मिलीभगत कर ठेकेदार से उसके द्वारा करवाये गये कार्य के 21 लाख रूपये के बिलों का 20 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग करना, सहायक वनपालों को 2 प्रतिशत अलग से लेने हेतु कहना, परिवादी के निवेदन करने पर 20 प्रतिशत मे से ही 2 प्रतिशत सहायक वनपालों को देने हेतु कहने पर रेन्जर व श्री राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल एवं पुष्पा राणावत का बिलों का 2 प्रतिशत कमीशन बतौर रिश्वत लेने हेतु सहमत होना, दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 50,000/- रूपये राजेन्द्र चौधरी रेन्जर के कहने पर राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल द्वारा प्राप्त कर शेष रिश्वती राशि 1,70,000/- रूपये केश व बैंक के रूप में दिनांक 24.03.2025 को देने हेतु कहना, दौराने ट्रेप कार्यवाही रेन्जर राजेन्द्र चौधरी के कहने पर राजेन्द्र मीणा सहायक वनपाल द्वारा स्वयं के नाका क्षेत्र के कार्य करीब 7 लाख रूपये का 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रूपये स्वयं के लिए, बौराव नाका क्षेत्र में करवाये गये करीब 7 लाख रूपये के कार्यों का 2 प्रतिशत के हिसाब से 14000/- रूपये नाका प्रभारी श्रीमती पुष्पा राणावत के लिए एवं 50,000/- रूपये नगद व 1,20,000/-रूपये का सेल्फ चेक राजेन्द्र चौधरी रेन्जर के कहे अनुसार लेना, रिश्वत राशि 78,000/- रूपये नगद एवं 1,20,000/- रूपये सेल्फ चेक आरोपी राजेन्द्र मीणा की पहनी हुई वर्दी की खाकी रंग की पेंट की साईड की बार्थी जेब से प्राप्त होना तथा आरोपी के दाहिने व बाये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा आरोपी की पेन्ट की जेब के धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से 1. श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी बिखरनियांखुर्द, पोस्ट बिखरनियांकलां पुलिस थाना पादुकला

जिला नागौर हाल रेंजर, रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़, 2. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी लालपुर पोस्ट हड़िया पुलिस थाना महवा जिला दौसा हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़, 3. श्रीमती पुष्पा राणावत पत्नी श्री शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 7ए 12 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस. 2023 का अपराध कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (पृथ्वीराज मीणा) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू कोटा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपी 1. श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी बिखरनियांखुर्द, पोस्ट बिखरनियांकलां पुलिस थाना पादुकला जिला नागौर हाल रेंजर, रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़, 2. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी लालपुर पोस्ट हड़िया पुलिस थाना महवा जिला दौसा हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, कार्यालय सहा. उपवन संरक्षक जिला चित्तौड़गढ़, 3. श्रीमती पुष्पा राणावत पत्नी श्री शिव सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ हाल सहायक वनपाल रेंज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ईंटे, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 408 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 445-49 दिनांक 27-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़। 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर। 3- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

Tara Chand

Rank

(पद):

उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

- Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan, IN
Date: 27/03/2025 22:17

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1986				
2	Male	07/09/1982				
3	Female	12/10/1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (शूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)